

(14A)

भाग 4

( नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के :  
लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफरिशें।  
(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक :  
की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और  
विवेचात्मक टिप्पणी दी जाए)।

Recommended for  
approval

तिथि :- 22.5.2017

स्थान:-

हस्ताक्षर:-

वाई.एस.के. शैवकुमार  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिक.  
वन (संरक्षण) शिमोगा-1986  
उ० प्र०, लखनऊ।